

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरु

क्रमांक : प्र.गा.स./2021/170/2021

दिनांक : 11-11-2021

निर्णय:-
आदेश

प्रार्थी श्री.....अगाराम.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....कानाराम.....
 ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम.....दादरिया.....बणीरोता.....पटवार मण्डल.....नाकरसर.....
 तहसील चूरु जिला चूरु की चालू जमाबन्दी सम्वत्..2070-2073.....के खाता संख्या.....143.....में
 खातेदार/गैर खातेदार का नाम/जाति.....अजीरु उर्फ अगाराम.....अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है।
 जिसे सम्मानजनक रूप से.....अगाराम.....अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन
 पत्र की जांच पटवारी हल्का.....दादरिया.....से करवाने पर पटवारी ने.....अजीरु उर्फ अगाराम.....के
 बजाय.....अगाराम.....करना उचित बताया। तहसीलदार, चूरु ने भी उक्त खाते में.....अजीरु उर्फ अगाराम.....
 के बजाय.....अगाराम.....करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम
 369 राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम.....दादरिया.....बणीरोता.....
 के खाता संख्या.....143.....में खातेदार/गैर खातेदार का नाम/जाति.....अजीरु उर्फ अगाराम.....
 के स्थान पर सम्मानजनक रूप से.....अगाराम.....दर्ज करने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार,
 चूरु तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें।

488

11-11-2021

11060

1034

11/11/2021

अगाराम
 उपखण्ड अधिकारी,
 (Land Record Officer)
 चूरु

